राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 59/017 आर सी एम सए नं0 2017/00082 तारीख रजू 29.06.2017

भरोसी पुत्र पदम जाति गुर्जर निवासी कसाने का नगला तहसील हिण्डौन जिला करौली

:—अपीलान्ट

बनाम

1 पूरन पुत्र रज्जी जाति गुर्जर निवासी कसाने का नगला तहसील हिण्डौन जिला करौली

2 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन सिंटी जिला करौली

— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश अदालत मातहत नामान्तकरण संख्या 32027016 दिनांक 17.05.2017 तहसील हिण्डौन

उपस्थितिः— 1 श्री अशोक नीमनका वकील अपीलान्ट

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय दिनांकः—28.11.2019

वाकेयत इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत रेस्पोडेण्ट के खिलाफ अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 32027016 दिनांक 17.05.2017 को मातहत अदालत द्वाया विना तथ्यो के आधार पर स्वीकार किया गया है जो गलत है जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के व्यक्ति है रेस्पोडेण्ट व उसके माता पिता द्वारा मृतक रतन की जमीन जायदात को हडपने की गरज से एक फर्जी फैक एव विधिविरूद्व गोद पत्र कार्यालय सवरजिस्ट्रार हिण्डौन मे दिनांक 06.02.1997 को पंजियन कराया गया था जिसमे रतन पुत्र बृजलाल द्वारा रज्जी व दरवो के पुत्र पूरण को गोद लेना अंकित किया है जो शून्य व अप्रभावी है क्योकि पूरण की जन्म तिथि उसके स्कूर रिकॉर्ड में 30.06.1974 अंकित है। ओर दिनांक 06.02.1997 को पूरण की उम्र 23 साल की थी ओर वह विवाहित था 15 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को गोद नही लिया जा सकता है जो गोद अधिनियम धारा 11 (4) के प्रावधानो में अवनिसियो बोईड व शून्य प्रभावी है। गोद की कोई रस्म पूरी नही की है। आज भी रेस्पोडेण्ट के समस्त दस्तावेजो में ओरिजनल पिता रज्जी के वल्दियात दर्ज है। यानी दत्तक पिता के नाम का कोई इन्द्राज नही है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर जरिये नोटिस रेस्पोडेण्ट को तलव किया गया जिसमे रेस्पोडेण्ट नं. 1 की विधिवत तामील होने पर नियत दिवश को उपस्थित नही आये। रेस्पोडेण्ट नं. 2 पेरोकार सरकार उपस्थित आया।

उभयपक्षकार अभिभाषकगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुए कथन कहा कि रेस्पोडेण्ट नं. 1 द्वारा कूट रचिम दस्तावेज तैयार किया गया है नियमो के अनुशार 15 वर्ष की अवधि से कम उम्र के बालको को ही गोद लिया जाता है। रेस्पोडेण्ट की उम्र उस समय 23 साल की थी ओर आज भी दस्तावेजो मे दत्तक पिता का कोई नाम दर्ज नही है ओरिजनल पिता का नाम है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे।

पैरोकार सरकार ने दोराने बहस कथन में दोराने नामान्तकण मुताबिक गोदपत्र से दर्ज किया गया है गोदपत्र रजिस्टर्ड है। जिसकी चुनोती किसी न्यायालय में किसी ने नही दी गई है। जॉच करने के बाद ही नामान्तकरण खारिज फरमाई जावे।

हमने बकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड एवं नामान्तकरण संख्या 32027016 दिनांक 17.05.2017 का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा रतन पुत्र बृजलाल फॉत हो जाने पर उसके द्वारा कराये गये गोद पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण दर्ज किया गया है उसी

अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं गोद पत्र को आधार मान कार नामान्तकरण की जॉच की गई है ओर इसी को आधार मान कर तहसीलदार ने नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जबकि तहसीलदार एक लेण्ड होल्डर है। जिसे नामान्तकरण तस्दीकर करने से पूर्व नामान्तकरण से सम्बंधित उभयपक्षकारानो को विधि अनुशार सुनना चाहिए । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह सावित हो रहा है कि जो गोद पत्र रेस्पोडेण्ट के हक मे तहरीर हुआ है। जो अपीलान्ट के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुशार ततसमय उसकी उम्र 23 साल एवं शादी शुदा व्यक्ति था ओर उसका दस्तावेजो मे अपने दत्तक पुत्र का नाम अंकित न होकर अपने असली पिता का नाम अंकित होना दर्शित किया हुआ है इस प्रकार से तहसीदार द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय सुनवाई नही की गई है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 32027016 दिनांक 17.05.2017 वाके ग्राम कसाने का नगला तहसील हिण्डौन का अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षकारो को विधिवत सुना जाकर एवं गोद पत्र तथा अन्य दस्तावेजो कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मजमे आम में वारिसो को विधिवत सुना जावे ओर विधि अनुसार गुणावगुण के आधार पर दो माह की अवधि मे प्रकरण का निस्तारण करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 15:58:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: